

वारीख  
हुकम

10/11/19 उद्यमपक्ष अधिवक्ता उप।

अपार्थी अधिवक्ता

कोई जवाब पेश नहीं करता यह दो ही बातः

मुझ वार्ड के निस्तारण तक प्रार्थी व अपार्थीजिण  
दोनों के अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदम पाबंद

किया जाता है कि ग्राम मावल नगर पंचायत क्षेत्र  
लोखण्डा विधानसभा तहसील लोखण्डा के ख. नं. 690

बकला 23.10 बीणा भूमि में मौक व राजस्व रेकर्ड  
के अभाव में उन्हाए उन्हा कृषि विद्युत कनेक्शन  
में किसी तरह की कोई गैरु नदी होगी।

पत्रावली फेरल शुमाट धकट मंगल

य एक कदम धकट मुल पत्रावली के अक्षर संलग्न  
कि लगे।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रैक) फलोदी